उत्पाद सुरक्षा समृद्धि

बिहार राज्य भंडार निगम

बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना–1

कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, वरीय अंकेक्षक, कनीय अंकेक्षक, कनीय अभियंता एवं प्रधान सहायक के पद पर संविदा पर कार्य करने हेतु अस्थायी पैनल निर्माण के लिए सूचना

बिहार राज्य भंडार निगम (पता– बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना–01) सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त **कार्यपालक अभियंता (असैनिक), सहायक अभियंता (असैनिक), वरीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद), कनीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद), कनीय अभियंता (असैनिक) एवं प्रधान सहायक** जिनकी आयु दिनांक 01.08.2020 को 62 वर्ष से कम हो, से पैनल निर्माण / संविदा नियोजन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आनलाईन अथवा निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित करता है:–

क्र.	पदनाम	अनुभव –अहर्ता
1.	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। 2. भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का अनुभव।
2.	सहायक अभियंता (असैनिक)	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। 2. भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का अनुभव।
3.	वरीय अंकेक्षक/ समकक्षीय पद	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से वरीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. वरीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद) के कार्य का अनुभव।
4.	कनीय अंकेक्षक/ समकक्षीय पद	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से कनीय अंकेक्षक (या समकक्षीय पद) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. कनीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद) के कार्य का अनुभव।
5.	कनीय अभियंता (असैनिक)	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से कनीय अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का अनुभव।
6.	प्रधान सहायक	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से प्रधान सहायक के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। 2. प्रधान सहायक के कार्य का अनुभव।

आवेदक का उपर्युक्त पदानुसार कार्य का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।

आवेदन आनलाईन भरने अथवा निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने हेतु दिनांक 11.12.2020 से दिनांक 21.12.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक तिथि निर्धारित है। आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जवाबदेह होंगे।

अर्हता एवं शर्तें निम्नवत् हैः–

1) **चयन का आधारः–** सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से कार्यपालक अभियंता (असैनिक) /सहायक अभियंता (असैनिक)/वरीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद), कनीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद), कनीय अभियंता (असैनिक) एवं प्रधान सहायक के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का चयन पैनल में किया जायेगा।

2) **पैनलः–** पैनल बिल्कुल अस्थायी होगा एवं सम्प्रति इसकी वैद्यता एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। पैनल का निर्माण निगम स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

3) **आयु सीमाः–** अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.08.2020 के आधार पर की जायेगी। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.08.2020 को 62 वर्ष से कम होना चाहिए।

4) **योग्यता एवं अनुभवः–**

(i) कार्यपाल अभियंता (असैनिक) पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, सहायक अभियंता (असैनिक) पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, वरीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद) पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, कनीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद), कनीय अभियंता (असैनिक) तथा प्रधान सहायक पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मी होंगे।

(ii) उक्त पद विशेष पर अधिक वर्षों तक कार्य कर चुके आवेदक को वरीयता दी जायेगी।

5) **वरीयता आधारः–** पैनल निर्माण में निम्नलिखित पहलुओं पर वरीयता दी जायेगीः–

(क) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त पदाधिकारी /कर्मी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (असैनिक), सहायक अभियंता (असैनिक), वरीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद), कनीय अंकेक्षक (समकक्षीय पद), कनीय अभियंता (असैनिक) एवं प्रधान सहायक पद पर अधिक वर्षों के कार्य अनुभव धारक।

(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडार निगम एवं राज्य खाद्य निगम से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

6) **संविदाः–** निर्मित पैनल से संविदा पर कार्य करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी से आवश्यकतानुसार अनुबंध किया जायेगा। प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

7) **मानदेयः–** (क) सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड पे तथा उसपर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उसपर सेवानिवृत्ति तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा वही राशि संविदा मानदेय के रूप में प्रति माह अनुमान्य होगा

(ख) अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृत्ति के समय अनुमान्य पे बैण्ड का प्रारम्भिक वेतन् + उस प्रारम्भिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय

प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन + महंगाई भत्ता के योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य होगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा। इस प्रकार अनुबंध परिलब्धियों में सभी भत्ता समाहित होगा।

सेवानिवृत्त एवं संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

8) मार्ग व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा परन्तु संस्थान का वाहन प्रयोग किए जाने की स्थिति में मार्ग व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9) सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को पी.पी.ओ. की प्रति अनिवार्यतः समर्पित करना होगा। अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को सेवानिवृत्ति के समय पे बैण्ड का प्रमाणक देना होगा।

10) सेवानिवृत्त आवेदक को अन्तिम पदस्थापन संस्थान से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

11) पैनल में सम्मिलित होने हेतु संबंधित आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।

12) निर्मित पैनल से संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी को सरकारी सेवकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

13) निर्मित पैनल से नियोजित पदाधिकारी/कर्मी को सरकारी सेवकों को देय सुविधायें अनुमान्य नहीं होगा।

14) वैसे आवेदक जिनपर कोई निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्डअध्यारोपित हो / अपराधिक मामला दर्ज हों का चयन पैनल में नहीं किया जायेगा।

15) निर्मित पैनल से संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।

16) संविदा पर नियोजन के उपरांत यदि नियोजित पदाधिकारी/कर्मी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

17) निर्मित पैनल में किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम/सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

18) बिना कारण बताये प्रकाशित सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने/इसे स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा।

19) आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20) पूर्ण आवेदन यथावश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक 11.12.2020 से दिनांक 21.12.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक ही स्वीकार्य होगा।

21) निर्मित पैनल के आधार पर चयन समिति द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी/कर्मी को उनके द्वारा समर्पित कागजात/अभिलेखों के सत्यापन हेतु अलग से सूचना दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक